

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक/न्यायिक/2021/15681



:: नोटिस ::

दिनांक : 17/05/2021

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जारी परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 एवं 08/पी.आई./2021 दिनांक 16.05.2021 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2021 से 24.05.2021 तक समस्त प्रकरणों में आगामी तारीख पेशी निम्न प्रकार नियत की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि कोई स्थगन आदेश प्रभावी हैं तो वह आगामी तारीख पेशी तक प्रभावी रहेगा:-

तारीख पेशी	फौजदारी प्रकरणों में आगामी तारीख	दीवानी प्रकरणों में आगामी तारीख	प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।	प्रकरण जो (दीवानी एवं फौजदारी), निर्णय/आदेश के प्रकम पर नियत है।
18.05.2021	29.06.2021	02.08.2021	18.06.2021	28.06.2021
19.05.2021	30.06.2021	03.08.2021	19.06.2021	29.06.2021
20.05.2021	01.07.2021	04.08.2021	21.06.2021	30.06.2021
21.05.2021	02.07.2021	05.08.2021	22.06.2021	01.07.2021
22.05.2021	03.07.2021	06.08.2021	23.06.2021	02.07.2021
24.05.2021	05.07.2021	07.08.2021	24.06.2021	03.07.2021

नोट : दीवानी/फौजदारी के जिन प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय से शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश प्राप्त हैं, उन प्रकरणों में दिनांक 26.05.2021 की पेशी नियत की जाती है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
 अ ल व र

दिनांक : 17/05/2021

क्रमांक/न्यायिक/2021/15682 to 686

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अलवर।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड/फौजदारी लिपिक/दीवानी लिपिक

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
 अ ल व र